महत्वपूर्ण एवं खास

दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट 10 आरोपी गिरफ्तार

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले के गीदम शहर में किसी बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दो पक्षों में हो रही मारपीट की जानकारी मिलने पर गीदम पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी भेजा गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले दोनों पक्ष के आरोपीगण भाग गये। थाना गीदम में क्रमशः धारा 294, 323, 506, 34 आईपीसी एवं धारा 147, 294, 323, 506 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जांच उपरांत आज दोनों पक्षों के आरोपी क्रमशः प्रथम पक्ष भावेश कौशल, हितेश कौशल, सुशील कौशल, सुभाष कौशल सभी निवासी वार्ड क्रमांक 05 गीदम एवं द्वितीय पक्ष जितेन्द्र भोई, अंकित कश्यप, नुपूर ठाकुर, मयंक ठाकुर, मोन्टू उर्फ सुरेन्द्र कश्यप, कमलेश ठाकुर सभी निवासी नयापारा गीदम को गिरफ्तार किया गया है, तथा दोनों पक्षों के विरूद्ध शहर का माहौल खराब कर पुनः लड़ाई झगड़ा कर शांति भंग करने की संभावना पर धारा 151 दप्रसं के तहत गिरफ्तार कर सभी आरोपियों को कार्यपालिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में पेश किया गया है।

आर्मी ऑफिसर की हार्ट अटैक से मौत, बिलासपुर में दी गई अंतिम विदाई

बिलासपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में इंडियन आर्मी के नायब सूबेदार आलोक सिंह ठाकुर का पार्थिव शरीर पहुंचा। वे पंजाब के फिरोजपुर में 165 मीडियम रेजीमेंट आर्टिलरी में पदस्थ थे। ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को बिलासपुर लाया गया है। बिलासपुर में शौर्य यात्रा निकली गई। वे बिलासपुर के हेमूनगर के रहने वाले थे। हार्ट अटैक से हुई उनकी मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को चार्टर प्लेन से रायपुर लाया गया है। इसके बाद रायपुर से बाय रोड बिलासपुर लाया गया। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक की लहर उमड़ पड़ी है। जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई।

नक्सलियों ने बेदरे पुल निर्माण ठेकेदार को जान से मारने का जारी किया पर्चा

बीजापुर (आरएनएस)। नक्सलियों की मद्देड़ एरिया कमेटी ने पर्चा जारी कर पुल निर्माण काम कर रहे ठेकेदार को जान से मारने की धमकी दी है। पर्चे में लिखा है कि बेदरे इंद्रावती पुल समेत आस-पास के इलाके में हो रहे सडक़ निर्माण काम को बंद करने के लिए इससे पहले भी हम लोगों ने पर्चा जारी किया था। नक्सलियों ने जारी पर्चे में कहा कि हमने बार-बार समझाया फिर भी नहीं मान रहे हो, अब काम बंद करो वरना सीधे मौत की सजा देंगे। नक्सलियों के इस धमकी भरे पर्चे के बाद मौके पर कार्य कर रहे ठेकेदार, मुंशी काफी डरे हुए हैं। जिले के इंद्रावती नदी पर बन रहे पुल सहित आस-पास हो रहे विकास कार्यों को लेकर नक्सली बौखलाए हुए हैं। इससे पूर्व बेदरे इंद्रावती नदी में बन रहे पुल निर्माण में लगे इंजीनियर का नक्सलियों ने अपहरण किया था, उस समय भी काम बंद करने के लिए कहा था। लेकिन बेदरे इंद्रावती नदी में बन रहे पुल निर्माण का कार्य अब फिर से शुरू कर दिया। इसके बाद नक्सलियों ने पर्चे में कहा कि जिस काम का हम विरोध कर रहे हैं वहां तुम काम कर रहे हो। यदि काम बंद नहीं करोगे तो मौत की सजा मिलेगी। नक्सलियों के इस हस्तलिखित पर्चे में लिखा है कि ठेकेदार अंकित गुप्ता, अमजद खान पुलिस के आदमी हैं, नक्सलियों की सूचना पुलिस को देते हैं। नक्सलियों ने पर्चे में लिखा है कि, ठेकेदार अंकित गुप्ता काम छोडक़र अपने परिवार के साथ दूर रहे। अपना कोई दूसरा कुछ काम करे, यदि अब हाथ आए तो मौत की सजा देंगे।

मानव तस्करी मामले में दिल्ली के अवैध प्लेसमेंट एजेंसियों पर कोतवाली पुलिस की दबिश, गिरफ्तार कर लाए गए दो आरोपी

- ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले युवक-युवतियों और नाबालिगों का काम दिलाने के बहाने किया जा रहा था शोषण
- कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के चुंगल से बालिका को कराया मुक्त

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा तथा सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर #कोतवाली पुलिस मानव तस्करी के अपराध की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए मानव तस्करी के सरगना का पता लगाकर दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों से 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया गया जिन्हें रायगढ़ कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ किया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 26.11.2022 के दोपहर रेलवे स्टेशन रायगढ़ में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के स्टाफ पेट्रोलिंग व चेकिंग दौरान स्टेशन पर एक नाबालिग बालिका को डरे सहमे हालत में देखे। सुरक्षाकर्मी संदेह के आधार पर बालिका से पूछताछ किए, लड़की कुछ भी बता नहीं रही थी। उसी समय राजू सिंह नाम का व्यक्ति आया और बताया कि वह लड़की को दिल्ली लेकर जा रहा है। आरपीएफ स्टाफ को व्यक्ति पर संदेह हुआ जिसे रेलवे सुरक्षा बल के उपनिरीक्षक अखिल सिंह द्वारा थाना कोतवाली रायगढ़ को सूचना दी गई।

थाना कोतवाली में मानव तस्करी का अपराध (धारा 370 आईपीसी) दर्ज कर राजू सिंह से कड़ी पूछताछ किया गया आरोपी राजू सिंह बताया कि बालिका को ग्राम लाखा निवासी सुशील वर्मा उर्फ करोड़पति के साथ मिलकर नाबालिक के परिजनों को बिना बताए बालिका को बहला-फुसलाकर बिक्री करने के उद्देश्य से दिल्ली लेकर जा रहा था।

तत्काल थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपी सुशील वर्मा उर्फ करोड़पति के ठिकानों पर दबिश दिये जिसे पूंजीपथरा क्षेत्र से हिरासत में लेकर थाना कोतवाली लाया गया। आरोपी राजू सिंह एवं आरोपी सुशील वर्मा उर्फ करोड़पति द्वारा बालिका को प्रलोभन तथा दबाव पूर्वक दुर्व्यापार के उद्देश्य से उसके पालकों के वैध संरक्षण से ले जाना पाए जाने से आरोपियों को धारा 370 आईपीसी, मानव तस्करी के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अभिषेक मीणा द्वारा सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय एवं थाना प्रभारी कोतवाली को मामले की सूक्ष्मता से जांच के निर्देश दिये गये। विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर उनसे जप्त किए मोबाइल सीडीआर का विश्लेषण कर जांच के दायरे को आगे बढ़ाया गया जिस पर पाया गया कि थाना कापू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पारेमेर निवासी अमृत तिग्गा दिल्ली में रहकर अवैध प्लेसमेंट एजेंसी चलाता है उसके एजेंट/सहयोगी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम क्षेत्र के गरीब भोले भाले युवक-युवतियों विशेषकर नाबालिक बालक-बालिकाओं तथा उनके परिजनों को महानगरों में अच्छे काम दिलाने का प्रलोभन देकर नई दिल्ली ले जाकर कई ऐसे कठिन काम में लगा कर उनका शोषण कर रहे हैं। थाना प्रभारी कोतवाली मामले निरीक्षक शनिप रात्रे द्वारा विवेचना में संकलित जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के संज्ञान में लाए। एसपी मीणा द्वारा तत्काल कोतवाली पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम बनाकर टीम को दिल्ली रवाना कर सरगना के ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी को धर दबोच कर लाने निर्देशित किया गया। थाना कोतवाली से सहायक उप निरीक्षक दिलीप बेहरा के हमराह पुलिस टीम दिल्ली रवाना हुई जो आरोपी अमृत तिग्गा के लोकेशन तथा मिलने के संभावित ठिकाने पर एक-एक कर दबिश दिया गया। एसपी अभिषेक मीणा तथा एडिशनल एसपी संजय महादेवा पुलिस टीम से प्रतिदिन अपडेट लेकर उन्हें दिशा निर्देशित किया जा रहा था।

पुलिस टीम को जानकारी मिली कि आरोपी अमृत तिग्गा दिल्ली के शुकुरपुर ईलाके में किराये मकान लेकर एक अवैध प्लेसमेंट एजेंसी चला रहा है, जहां उसके साथ और भी कई लोग इस काम में लगे हैं। आरोपी रायगढ़ पुलिस टीम की दबिश की जानकारी पर वे एजेंसी को बंद कर सभी लोग अन्यत्र फरार हो गये थे। पुलिस टीम दिल्ली में कैंप कर आरोपी के संबंध में जानकारियां जुटाई जा रही थी। इसी बीच टीम को सूचना मिली कि प्लेंसमेंट एजेंसी से फाईलों की गठरी को ऑटो में रखकर कहीं और शिफ्ट कराया जा रहा है तथा आरोपी अमृत तिग्गा अपने सहयोगी – प्रभाकर सुनानी मलकानगिरी उड़ीसा हाल मुकाम शुकुरपुर दिल्ली तथा आशु मल्होत्रा आंगलोंग (असम) हाल मुकाम मुकुंद विहार नई दिल्ली के साथ में है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर जाकर ऑटो से फाईलों की गठरी इत्यादि को जप्त कर आरोपी के दोनों सहयोगियों को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताये कि वे दोनों भी अमृत तिग्गा को लड़के-लड़कियां विभिन्न राज्यों से उपलब्ध कराते थे। दोनों आरोपियों से मोबाइल तथा एजेंसी की फाईलें जप्त किया गया है जिसमें कई राज्यों से लायी और काम में लगाई गये युवक-युवतियां का ब्यौरा लिखा है। आरोपी अमृत तिग्गा के जशपुर जिले के थाना बागबहार के मानव तस्करी के अपराध में चालान होने की जानकारी मिली है। दिल्ली में रायगढ़ टीम के पास आकर कुछ युवतियां बताई कि प्रभाकर सुनानी शुकुरपुर में सेलून चलाता है, उसकी के किराये मकान पर रहते थे, वह अमृत तिग्गा से मिलाकर मेट के काम पर लगाया था, उन्हें समय पर तनख्वा नहीं मिलता है। गिरफ्तार आरोपी प्रभाकर सुनानी और आशु मल्होत्रा के उक्त अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रायगढ़ न्यायिक में पेश 01 दिन का पुलिस रिमांड लिया विस्तृत पूछताछ के लिये लिया गया है। आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, सहायक उप निरीक्षक दिलीप बेहरा, प्रधान आरक्षक विक्रम चौरसिया, प्रदीप गहलोत और साइबर सेल आरक्षक नवीन शुक्ला की अहम भूमिका रही है।

गिरफ्तार आरोपी- (1) प्रभाकर सुनानी पिता कुशो सुनानी उम्र 48 वर्ष निवासी डीएमके कॉलोनी मलकानगिरी (उड़ीसा) हाल मुकाम शुकुरपुर नई दिल्ली **(2)** आशु मल्होत्रा पिता ए. एन. मल्होत्रा उम्र 37 वर्ष निवासी पानीगुड कारगी आंगलोंग (असम) हाल मुकाम मुकुंद विहार नई दिल्ली।

रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन का काम शुरू नहीं होने पर किया जाएगा उग्र आंदोलन

जगदलपुर (आरएनएस)। बस्तर रेल आंदोलन से जुड़े लोगों की हुई बैठक में आज यह निर्णय लिया गया कि रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन का काम शुरू नहीं होता है तो इस मांग को लेकर बस्तर बंद किया जाएगा। इसके लिए रेलवे को दिसंबर माह के अंत तक की मोहलत दी गई है। इसके अलावे यदि जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

बस्तर में रेल सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रही बस्तर रेल आंदोलन के सदस्यों ने रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन को लेकर बैठक रखी थी। बस्तर चेंबर ऑफ कामर्स कार्यालय में हुई इस बैठक में व्यापारी समेत बड़ी संख्या में सभी समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। यहां सभी ने रेल सेवा पर अपनी बात रखी और रेल मंत्रालय द्वारा हो रही लेटलतीफी को लेकर अपनी नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस दिशा में उग्र प्रदर्शन किया जाना होगा, तब रेलवे की आंख खुलेगी। चेंबर के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने कहा कि यदि जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई नहीं की जाती है तो बस्तरवासियों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा।

शादी का प्रलोभन देकर युवती का शारीरिक शोषण, अरोपी गिरफ्तार

- युवती की रिपोर्ट पर चक्रधरनगर पुलिस ने आरोपी को भेजा रिमांड पर

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा के मार्गदर्शन पर महिला व नाबालिगों से संबंधित मामलों में थाना, चौकी प्रभारियों द्वारा गंभीरता पूर्वक कार्यवाही किया जा रहा है। आज चक्रधरनगर पुलिस द्वारा युवती से दुष्कर्म की शिकायत पर सुपरविजन अधिकारी सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के फरार होने के पूर्व हिरासत में लेकर थाने लाया गया जिसे आज ज्युडिसियल रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक कल स्थानीय युवती थाना चक्रधर नगर आकर लक्ष्मण प्रसाद यादव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई कि पिछले 3 साल से लक्ष्मण उसे शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण कर रहा है। पहले लक्ष्मण यादव शादी की बात करने पर टालमटोल कर देता था किंतु पिछली बार शादी से साफ इंकार कर दिया, काफी मिन्नतों के बाद भी नहीं माना।तब घर परिवार में सलाह मशवरा कर रिपोर्ट दर्ज कराई। चक्रधर नगर पुलिस मामले में तत्काल आरोपी पर दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर आरोपी की पतासाजी हिरासत में लिया गया जिसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी लक्ष्मण प्रसाद यादव पिता बिकाऊ यादव उम्र 23 साल निवासी माली थाना रुनीसैतपुर जिला सीतामढ़ी (बिहार) हाल मुकाम थाना क्षेत्र चक्रधर नगर पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी चक्रधर नगर निरीक्षक प्रवीण कुमार मिंज, उपनिरीक्षक संतरा चौहान, सहायक उपनिरीक्षक प्रकाश नारायण पांडे तथा हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर में आगन्तुकों की उमड़ी भीड़

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर रायपुर में 10 दिसंबर को हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दिन के सुहावने मौसम में कवर्धा जैसे दूर-दराज स्थानों में से छात्र-छात्राओं द्वारा सेन्टर का भ्रमण किया गया। एक ही दिन का आगंतुक आंकड़ा 1000 से अधिक हो गया। दिसम्बर माह के 10 दिनों में 23 विद्यालयों से 2000 से अधिक छात्रों सहित प्रयास और एकलव्य विद्यालयों से विभिन्न जनजातियों के विद्यार्थियों के साथ विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के छात्रों द्वारा भी रायपुर के छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेन्टर का भ्रमण किया गया।

छत्तीसगढ़ रीजनल साईस सेन्टर में कई आकर्षक गतिविधियाँ जैसे 3-डी शो, तारामण्डल लगातार आगंतुकों को आकर्षित करता है। साथ ही 3 डी शो में दिखाई जाने वाली नासा पर आधारित 3 डी फिल्म एवं तारामण्डल में दिखाया जाने वाला रात्रिकालीन आकाश के साथ विज्ञान के प्रदर्शों से सुसज्जित विशालकाय हरा-भरा साईंस पार्क भी आगंतुकों की भीड़ को परिसर में आने के लिए आकर्षित करता है। साथ ही साईंस सेन्टर में प्रत्येक शनिवार को विभिन्न दीर्घाओं पर आधारित साईंस क्विज भी आज विभिन्न विद्यालयों से आए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आकर्षण का केन्द्र रहा है।

10 दिसम्बर अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस होने के उपलक्ष्य पर वैज्ञानिक एवं इंजीनियर डॉ. शिरिष कुमार सिंह, वैज्ञानिक अमित कुमार मेश्राम द्वारा विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों को एक जागरूकता व्याख्यान दिया गया। व्याख्यान में मानव अधिकार एवं विज्ञान के बीच संबंध केन्द्रित करने और उन तरीकों का विश्लेषण करने जिसमें विज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान में आम जनमानस के अधिकार व्यक्त किया गया है कि वैज्ञानिक प्रयास के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है कि इसमें शिक्षा, वित्त पोषण और सहकर्मी समीक्षा शामिल हो। साथ ही साथ वैज्ञानिक जानकारी तथा उत्पादों का आम जनमानस तक पहुँच हो। व्याख्यान के दौरान प्रज्ञा कदम, वैज्ञानिक अधिकारी, वरूण कुमार मिश्रा, सुतारिणी वर्मा, सुश्रेया मिश्रा, सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

दुर्लभ वन्य जीव पैंगोलिन की तस्कर करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार

कांकेर (आरएनएस)। जिले के भानुप्रतापपुर इलाके से कुछ लोग दुर्लभ वन्य जीव पैंगोलिन की तस्करी कर बेचने के प्रयास का मुखबीर के सूचना पर वन विभाग की टीम ने 05 पैंगोलिन तस्करों देवानंद कालीपद, राजेंद्र राजपूत, धनवीर, सहदु राम और उसकी पत्नी दसरी के कब्जे से एक जिंदा पैंगोलिन बरामद कर पैंगोलिन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में शामिल अन्य लोगो की भी गिरफ्तारी की संभावना बताई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग को मुखबीर की सूचना पर लगातार पीछा करते हुए भानुप्रतापपुर के खण्डी नदी के पास आंध्रप्रदेश की कार में सवार 05 पैंगोलिन तस्करों देवानंद कालीपद, राजेंद्र राजपूत, धनवीर तीनो निवासी पालारास सुकमा एवं सहदु राम और उसकी पत्नी दसरी निवासी कोयलीबेड़ा के कब्जे से एक जिंदा पैंगोलिन जब्त किया। पैंगोलिन एक दुर्लभ वन्य जीव है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है, इसके मांस और इसकी शैल को उपयोग दवा के लिए किया जाता है।

बांगो बांध से रबी फसल के लिए 15 जनवरी से नहरों में छोड़ेंगे पानी

कोरबा (आरएनएस)। बांगो बांध से रबी फसल के लिए 15 जनवरी से पानी छोड़ा जाएगा। जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। कितने रकबे में फसल होगी, यह अभी तय नहीं है। बांध में अभी 82 प्रतिशत पानी का भराव है। बांगो बांध से रबी फसल की सिंचाई का रकबा एक लाख 23 हजार हेक्टेयर है, लेकिन दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने धान का रकबा कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसी वजह से राज्य स्तरीय कमेटी ने 44532 हेक्टेयर फसल के लिए पानी देने का निर्णय लिया था। हालांकि किसान अब धान की फसल कम लगा रहे हैं। इस वजह से रकबा भी घट रहा है। बुआई के बाद ही स्पष्ट होगा कि वास्तविक फसल का रकबा कितना है। बांगो बांध का जल स्तर 356.56 मीटर है। इसलिए पानी की कमी नहीं होगी। नहरों की मरम्मत भी कराई जा रही है। जिले में 40 जलाशयों से पहले रबी फसल के लिए पानी दिया जाता था, लेकिन इस बार रबी में धान की फसल के लिए पानी नहीं देने का निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एसएल द्विवेदी ने बताया कि इस संबंध में संभाग स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक में यह निर्णय लिया है। धान के अलावा अन्य फसलों के लिए पानी दिया जाएगा।

दो बेटी के बाद हुआ बेटा, टीका लगवाने के बाद हुई मौत

मासूम का शव लेकर परिजन पहुंचे कलेक्ट्रेट

कोरबा (आरएनएस)। रिस्दी वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र में डेढ़ माह के बच्चे की टीका लगवाने के बाद मौत हो गई। शनिवार सुबह परिजन स्थानीय लोगों के साथ मासूम के शव को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचेए जहां उन्होंने बच्चे की मौत एक्सपायरी डेट का टीका लगाने से होने की बात कहते हुए कार्रवाई की मांग की।

शहर के रिस्दी वार्ड में निवासरत दिलबोध और कांति बाई के डेढ़ माह के बच्चे हर्षित को बीमारियों से बचाने शुक्रवार को वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र में टीका लगाया गया था। टीका लगने के बाद हर्षित को बुखार चढ़ गया। परिजन ने जब कार्यकर्ता अनिता रात्रे को बताया तो उसने टीका लगने के बाद हल्का बुखार आना सामान्य बात होनी बताई, लेकिन रात में बुखार तेज हो गया। सुबह होने पर बच्चा नहीं उठा। परिजन ने देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। इससे परिजन रोने-बिलखने लगे। परिजन के साथ बच्चे का शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां गेट के के सामने बैठकर मामले में कार्रवाई की मांग करने लगे। कांति बाई बच्चे के शव को गोद में लिए बैठी थी। जानकारी होते ही रामपुर चौकी से पुलिस बल वहां पहुंचा। वहीं तहसीलदार मुकेश देवांगन, सीएसपी विश्व दीपक त्रिपाठी के साथ ही विभाग के अफसर पहुंचे और समझाइश देते हुए शांत कराया।

बच्चे को लगाया गया था पीवीसी टीका:-स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों में निमोनिया का खतरा सबसे अधिक रहता है। इसलिए पीवीसी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीका लगाया था। उक्त टीका जन्म के बाद बच्चों को किसी तरह के संक्रमण से सुरक्षित करने लगाया जाता है। टीका बच्चों को निमोनिया से बचाती है। बच्चों के डेढ़ माह पूरा होने और साढ़े 3 माह होने पर टीका लगता है। 9 माह होने पर बूस्टर डोज लगाया जाता है। अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता बच्चों को टीका लगाते हैं। **रिपोर्ट आने पर चलेगा सही कारण का पता:-**कोरबा बीएमओ डॉ. दीपक राज के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी द्वारा टीका लगाया गया था। टीका लगाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे में गलती की संभावना कम है। हालांकि पोस्टमार्टम में सही कारण का पता चलेगा। एकसपायरी डेट का टीका लगाने की वजह से मौत होना पाया जाएगा तो टीकाकरण में शामिल टीम पर कार्रवाई की जाएगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480